10/5/23 स्थानांतरित किया जाकर [illegible] को पेश हेतु 25/5/23

17/4/23 पत्रांक आज प्रेषक द्वारा प्राप्त भय आपत्तिकर्ता अस्थायी वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिया कर वाद पत्र को वापस किया जाकर कोई औचित्य नहीं रहा अतः वाद पत्र को कोई औचित्य नहीं रहा है, अतः प्रार्थना पत्र 2/2 [illegible] पर स्वीकृत किया जाता है। पत्रांक को मूल रूप से दाखिल रखा जावे।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
नदबई (भरतपुर) राज.

3. क्या तथ्य [illegible]
4. क्या [illegible]
5. क्या [illegible]
तथा [illegible]
6 क्या वाद [illegible]
7 क्या सी[illegible]
8. क्या [illegible]
9. क्या [illegible]
10